

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशित:- श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0

05/21

दायर दिनांक

08.01.2021

निर्णय दिनांक

16.11.2022

उनवान

1. सपात खां पुत्र मोहमल खां जाति मेव निवासी ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर।

:- वादी

बनाम

1. कुर्शीद खां पुत्र मोहमल खां जाति मेव निवासी हुसैनपुर तह0 किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
2. शरीफ खां पुत्र मोहमल खां जाति मेव निवासी ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
3. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार किशनगढ़बास।

:- प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88,89,188
आर0टी0 एक्ट 1955

- उपस्थिति: 1. श्री उदयसिंह यादव वकील वादीया की ओर से।
2. श्री शाहिद खान जी वकील प्रति0 की ओर से।


अन्तिम पर्चा डिक्री

वादीया की ओर से श्री उदयसिंह यादव एडवोकेट व प्रतिवादीग की ओर से श्री शाहिद खान जी एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 16.11.22 को श्री गंगाधर मीणा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है ओर अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है:-



आराजी ख0न0 1246 रकबा 0.57हे0, 1262 रकबा 0.44हे0, 1241 रकबा 0.70हे0
वाके ग्राम हुरौनपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर को प्राप्त कुरे कायमी रिपोर्ट
दिनांक 18.10.2022 "प्रदर्श-अ" के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार
ही अलग- अलग खाते कायम कर लगान स्थापित किया जावे, अमल दरामद किया
जावे तथा बैंक रहन की स्थिति मे पक्षकरान को मिलने वाले हिस्से रकबे . आराजी
से ऋण राशि वसूलनीय होगी। कुरे कायमी रिपोर्ट "प्रदर्श-अ" निर्णय व अन्तिम पर्चा
डिकी का अभिन्न रहेगा।

यह अन्तिम पर्चा डिकी आज दिनांक 16.11.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर
बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(गंगाधर भीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)